झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
द्वादश (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 31.07.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा स0वि0स0 श्री अमर कुमार बाऊरी स0वि0स0 श्री नवीन जायसवाल स0वि0स0	राज्य में मॉनसून के दस्तक के साथ ही वज्रपात की घटनाएँ बढ़ जाती है। राज्य पठारी प्रदेश होने के कारण यह वज्रपात प्रभावित जोन में आता है। राज्य के सभी जिलों में वज्रपात की घटनायें घट रही है। इसमें सबसे ज्यादा किसान और स्कूली छात्र प्रभावित हो रहे है। प्रत्येक वर्ष 200 से ज्यादा लोग वज्रपात से मारे जाते है। राज्य में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के अधिकांश सरकारी विद्यालयों, कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थल में तड़ित चालक नहीं है, जिससे दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। अतः किसान, स्कूली छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यथाशीघ्र निर्णय लेने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
02-	श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0 श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या- 21/2016 के आलोक में हाई स्कूल शिक्षकों की शेष नियुक्तियाँ हो रही है। लेकिन इसी विज्ञापन के आधार पर पूर्व में स्नातक के आधार पर उर्दू और	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

01.	02.	03.	04.
		संस्कृत विषयों के शिक्षक की नियुक्ति हुई है तथा जिन छात्रों का स्नातक में सब्सिडीरी विषय था, इनकी भी नियुक्तियाँ हुई है। लेकिन वर्त्तमान में उक्त विज्ञापन के ही शेष नियुक्तियों में स्नातक के आधार पर उर्दू और संस्कृत तथा सब्सिडीरी विषय से मेरिट में आए छात्रों की नियुक्ति नही हो रही है। एक ही विज्ञापन के आधार पर नियुक्तियों में भेदभाव करना समानता के अधिकार का उलंघन है। अतः हाई स्कूल शिक्षक में मेरिट में आए छात्रों को नियुक्तियां की जानी चाहिए। वर्त्तमान में मेरिट में आए कई छात्र संबंधित विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिग्री प्राप्त कर चुके है। यदि सरकार वर्त्तमान नियमावली को भी ध्यान में रखे–तो इनकी नियुक्तियां कर इन्हें पाँच साल के अन्दर संबंधित विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने की शर्त्त रख सकती है। उक्त महत्त्वपूर्ण विषय पर मैं आपके माध्यम से आपका, सदन का और मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03–	**श्री सरयू राय स0वि0स0**	राज्य में सरकारी एवं निजी विद्यालय ''शिक्षा का अधिकार (आरटीई)'' के प्रावधान के अन्तर्गत संचालित होते हैं। दूरदराज के इलाकों में जहाँ लोगों की भुगतान क्षमता काफी कम है और वैसे क्षेत्रों में छोटे–छोटे करीब 40 हजार निजी विद्यालय कार्यरत हैं। 2019 में तत्कालीन सरकार ने ऐसे विद्यालयों की मान्यता के लिए कई ऐसी शर्त्ते लागू कर दी हैं जो सरकारी विद्यालयों पर भी लागू नहीं है और जिनके प्रावधान आरटीई में भी नहीं है। मध्य विद्यालयों के लिए 0.75 एकड़ भूमि शहरी क्षेत्र में तथा 01 एकड़ भूमि ग्रामीण क्षेत्र में होना, प्राथमिक विद्यालयों के लिए 40 डिसमिल भूमि शहरी क्षेत्र के लिए और 60	**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**

कृ0पृ030–

01.	02.	03.	04.
		डिसमिल भूमि ग्रामीण क्षेत्र के लिए होना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के नाम से एक लाख सावधि जमा, निरीक्षण शुल्क के रूप में कक्षा 1 से 5 के लिए रू0 12,500/- तथा कक्षा 8 के लिए रू0 25,000/- देने का प्रावधान किया गया है। मान्यता नहीं मिलने पर यह रूपये जब्त हो जायेंगे। विद्यालयों के कमरों की संरचना की शर्त्ते सीबीएसई बोर्ड के अनुरूप रखी गई है। इसके अतिरिक्त कई अन्य शर्त्ते भी निजी क्षेत्र में संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए रखी गई है जो सरकारी विद्यालयों के लिए लागू नहीं हैं। इस कारण सुदूर ग्रामीण इलाकों में तथा शहरी गरीब इलाकों में निजी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का प्रबंधन करने वालों के समक्ष अनावश्यक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो गई हैं। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस विसंगति की ओर आकृष्ट करता हूँ और इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।	
04-	श्री सुदिव्य कुमार स0वि0स0	भारत सरकार के पत्रांक- 57/05/2021-P-PW(B) दिनांक- 03.03.2023 के आलोक में वित्त विभाग के पत्रांक- 67, दिनांक- 17.03.2023 द्वारा संसूचित है कि दिनांक- 22.12.2003 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में नियुक्त कर्मियों के अंशदायी पेंशन योजना में जमा की गई राशि को संबंधित कर्मी के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाता में वापस करने हेतु दिनांक- 31.08.2023 तक प्राप्त आवेदन को केन्द्र सरकार को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भेजा जाना है। इसी क्रम में राज्य के कतिपय विभागों द्वारा नियुक्त कर्मियों की सूची वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है।	वित्त

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		अतः भारत सरकार के पत्र के आलोक में दिनांक– 22.12.2003 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में नियुक्त कर्मियों की सूची दिनांक– 31.08.2023 तक भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए संबंधित कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाता में अंशदायी पेंशन योजना के तहत् जमा राशि वापस कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
05–	**सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0**	हजारीबाग जिला अन्तर्गत एनटीपीसी की पकरी बरवाडीह, चट्टी बारियातू व केरेडारी कोयला खन्न परियोजना एमडीओं के माध्यम से खन्न कार्य कर रही है तथा बादम कोयला खन्न परियोजना, अडानी समेत कई खन्न कंपनियों का खन्न कार्य भविष्य में प्रस्तावित है। कंपनियों के द्वारा विस्थापितों को काफी कम मुआवजे पर बगैर नौकरी और एन्युटी दिये भूमि अधिग्रहण करने का कार्य किया जाता रहा है। इसका विरोध करने पर थानों में फर्जी मुकदमें दर्ज कर दिये जाते हैं जिसके दर्जनों उदाहरण हजारीबाग जिले के बड़कागांव एवं केरेडारी थाने में दर्ज है। साथ ही बड़कागांव के गोंदलपुरा में लोगों के द्वारा ग्राम सभा में सहमति न देने और भारी विरोध के बावजूद अडानी कंपनी के पक्ष में खन्न के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अतः बड़कागाँव विधान सभा क्षेत्र की विस्थापन की समस्याओं के समाधान हेतु मैं सरकार से विस्थापन आयोग का गठन करने, विस्थापितों के हित में सही नीति का निर्माण कर उचित मुआवजा और नौकरी दिलाने, गैरमजरूआ भूमि का मुआवजा भुगतान, बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई प्रक्रिया नहीं करने, डीएमएफटी मद से खन्न प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

01.	02.	03.	04.
		के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन कराने समेत प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ।	

राँची,
दिनांक- 31 जुलाई, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-45/2023-2024/वि0 स0, राँची, दिनांक- 29/07/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.07.23
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-45/2023-2024/वि0 स0, राँची, दिनांक- 29/07/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

29.07.23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

29.07.23